न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 86/17 सन् 2017

बउनवानी :–1. श्योदान पुत्र फैली जाति मीना निवासी भावंरा व रानीला तह0 बामनवास

बनाम

1. सुखजी पुत्र फेली मीना निवासी भावंरा हाल निवासी रानीला तह. बामनवास
2. जगमोहन पुत्र सुखजी मीना निवासी भावंरा हाल निवासी रानीला तह. बामनवास
3. अमली पुत्र सुखजी मीना निवासी भावंरा हाल निवासी रानीला तह. बामनवास
4. बत्तीलाल पुत्र सुखजी मीना निवासी भावंरा हाल निवासी रानीला तह. बामनवास
5. कमला पत्नि सुखजी मीना निवासी भावंरा हाल निवासी रानीला तह. बामनवास
6. मनभर पत्नि जगमोहन मीना निवासी भावंरा हाल निवासी रानीला तह. बामनवास
7. लाली पत्नि अमली मीना निवासी भावंरा हाल निवासी रानीला तह. बामनवास
8. सपना पत्नि बत्तीला मीना निवासी भावंरा हाल निवासी रानीला तह. बामनवास
9. उप जिला कलेक्टर बामनवाास

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर बामनवास प्रार्थना टी.आई सख्या 28/2017 मय दावा उनवानी श्योदान बनाम सुखजी वगै. अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट,1955)

उपस्थित : 1. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री मुकेश तेहरिया — वकील प्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 22.1.2018

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास में विचाराधीन वाद सख्या 28/2017 मय दावा उनवानी श्योदान बनाम सुखजी वगै0 के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के यहा लंबित है तथा टी.आई प्रा0पत्र की पत्रावली में पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 2.11.2017 वास्ते बहस नियत की गयी है। यह कथन भी किया कि अप्रार्थीगण गिरोहबन्द राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिनकी उठक बैठक बामनवास एम.एल.ए. साहब के यहा निरन्तर है। दिनांक 25.10.2017 को गांव में अप्रार्थीगण ने उनके मिलने वाले से एलानिया कहॉ कि श्री रामकिशोर मीना उप जिला कलेक्टर बामनवास से हमारी बात हो गयी है तथा 2 तारीख को बहस सुनकर इनकी टी.आई. खारिज कर देगे तथा टी.आई खारिज होने के बाद मे हम इस भूमि को अपने कब्जे में ले लेगें। यह कथन भी किया कि अप्रार्थीगण का उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय मे दबदबा होने के कारण पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण संख्या 28/2017 मय दावा उनवानी श्योदान बनाम सुखजी को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गयो ।

(के.सी. वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब बहस मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एकदम गलत तरीके से दावा व टी.आई प्रार्थना पत्र न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास मे पेश किया है तथा कोर्ट से कपट करते हुए स्थगन आदेश जारी करवाया है तथा अब प्रकरण मे देरी करने की नियत से गलत एवं झूंठे तथ्य अंकित कर झूंठा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह कथन भी किया कि बिना किसी ठोस आधार के अपनी मनमर्जी से मुन्तकिली प्रार्थना लगाये जाते है एवं उन्ही आधार पर मामले अन्तरित होने लग गये तो किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण

निस्तारण करना सम्भव नही है। यह कथन भी किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने टी.आई प्रा.पत्र में अन्तरिम स्थगन प्राप्त कर लिया है तथा अब प्रकरण को लम्बे समय तक चलाने की गरज से निराधार तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रार्थी के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर बामनवास की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो को निराधार व मनगढन्त बताते हुऐ निवेदन किया कि उक्त टी.आई प्रकरण बहस की स्टेज पर है तथा प्रार्थीगण बहस मे देरी करना एवं प्रकरण को स्थगन की आड में लंबित करना चाहते है। इसलिए टीए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत अपनी टिप्पणी मे अंकित किया है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूँ, कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना में अंकित तथ्यों की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य दस्तावेज से हो जाती है। तथा वकील अप्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थी द्वारा टीआई. प्रार्थना मे स्थगन ले रखा है तथा अब प्रकरण मे देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु कथन के समर्थन मे कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती हो। अतः वकील उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के उपरान्त प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर बमानवास के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण प्रा.पत्र. टी.आई संख्या 28/2017 मय दावा को उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है। एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण की पत्रावली संख्या 28/2017 मय दावा को दिनांक 27.2.2018 से पूर्व आपके न्यायालय से स्थानान्तरित कर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 27.2.2018 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.1.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(के0सी0 वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर